माननीय सभापति महोदय,

गया में ऐतिहासिक नदी फल्गु में देश विदेश से आये लाखों लोग प्रतिवर्ष अपने पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए तर्पण करते हैं। खासकर पितृपक्ष के दौरान यहाँ मेला लगा रहता है। तीज त्योहारों में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते थे। एक समय में गया के बड़े भू-भाग की सिचाई की जाती थी। लेकिन अब इस नदी में पानी नहीं के बराबरहै। ऐसे फल्गु नदी का अस्तित्व ही खतरे में है। प्रतिदिन लाखों टन सड़ी-गली वस्तुयें नदी में फेंकने और नाली का पानी बहने के कारण इसमें दिनोंदिन प्रदूषण बढ़ रहा है। नदी किनारे पानी इतना गंदा बहता है की उससे स्नान कर लेने भर से ही कई रोग होने की आंशका रहती है। खटालों से निकलने वाली गंदगी भी नदी में मिल रही है, जिससे प्रदूषण दुगनी गति से बढ़ रहा है।

अत: फल्गु नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को दूर करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- कृष्ण कुमार सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-90/2018 – 525 / वि.प.। पटना, दिनांक- 08.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ पर्यावरण एवं वन विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-15.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 08.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-13372/2015 (एस.एल.पी. (सी) -10062/2015) दिनांक- 02.06.2015 एस.एल.पी. (सी) नं.- 16918 दिनांक 16.06.2015) एवं सिविल अपील सं.- 13375/2015 में पारित आदेश दिनांक07.09.2017 के क्रम में एल.पी.ए. संख्या 716/2017 में पारित न्याय निर्णय, दिनांक12.12.2017 के बावजूद वित्त विभाग द्वारा बोर्ड/निगम से समायोजित भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों के सेवा निवृत कर्मियों को सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जबकि दिनांक 14.07.2014 को माननीय प्रभारी मंत्री,(वित्त) द्वारा सदन में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट का जो निर्णय आएगा,उसका सरकार अनुपालन करेगी।"

अत: मैं सरकार से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में भविष्य निधि निदेशालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालयों में बोर्ड/ निगम से समायोजित 49 लिपिकों में से 5 मृत तथा 28 सेवा निवृत लिपिको को सेवान्त लाभ/ पेंशन प्रदान करने के संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- केदार नाथ पाण्डेय
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-89/2018 – 524 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 08.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ वित्त विभाग बिहार/ सामान्य प्रशासन विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-15.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 08.03.18
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

# बिहार विधान परिषद्

## ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए निगरानी अन्वेष्ण ब्युरो,विशेष निगरानी इकाई एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा रंगे हाथ पकड़े गये प्रत्यानुपातिक धनोपार्जन एवं पद के दुरूपयोग के लिए सरकारी सेवकों पर कार्रवाई संचालित करती है। इस संबंध में आरोपित कर्मी यथा-भारतीय प्रशासनिक सेवा,पुलिस सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा,तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कर्मियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार जैसे अनैतिक कृत को करने पर न केवल गिरफ्तार किये जाते हैं बल्कि विभागीय कार्रवाई संचालित कर बर्खास्तगी एवं संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है।

अत: सरकार से इस संबंध में निगरानी अन्वेषण ब्युरो,विशेष निगरानी इकाई एवं आर्थिक अपराध इकाई द्वारा किए गए कार्य के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- नीरज कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-88/2018 - 523 / वि.प.। पटना, दिनांक- 08.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ निगरानी विभाग बिहार/ गृह विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-15.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 08.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

# बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में वृद्धा पेंशन,विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजना की राशि बहुत से लाभुकों एक पहुँचने में काफी कठिनाई हो रही है। योजना की राशि लाभुकों के बैंक खाते में नहीं जा पा रही है, इसके कई कारण है, जैसे पुराने पेंशनधारियों का पेंशन स्वीकृति पत्र का कोई रिकार्ड नहीं रहना कि किस पत्रांक-दिनांक द्वारा उनका पेंशन स्वीकृति हुआ। पेंशन स्वीकृति पत्र का आधार कार्ड, वोटर कार्ड बैंक खाते के नाम में नाम मात्र का भी विसंगति होना भी इसका मुख्य कारण है। साथ् ही नये आवेदकों को भी आवेदन करने के 6 से 8 माह तक आवेदन स्वीकृति में समय लगता है एवं अस्वीकृत आवेदनों को अस्वीकृति कारण भी नहीं बताया जाता है। पहले लोगों को 200/-रूपये पेंशन के रूप में मिलता था, नवम्बर 2016 से 400/-रू. प्रतिमाह मिलने लगा,जिन लोगों को राशि मिल भी रहा है उन्हें अप टु डेट नही मिल पा रहा है।

अत: सरकार से उक्त सम्पूर्ण विषय पर एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- संजीव श्याम सिंह
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-87/2018 – 522 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 08.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ समाज कल्याण विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-15.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 08.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

**बिहार विधान परिषद्** **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पकड़ीदयाल थाना के ग्राम हसानाबाद के निवासी दिपलाल साह पिता राजेन्द्र साह कि हत्या गले में फंदा डालकर ग्राम सिरहा थाना पकड़ीदयाल के अरूण भगत एवं उसके बहनोई दिलिप कुमार सिंह तथा 4-5 अन्य लोगों द्वारा दिनांक-10.04.2016 को अपने लिची बगान में कर दिया गया। जिसका पकड़ीदयाल थाना कांड सं.- 44/16 दिनांक- 10.4.2016 के द्वारा धारा 302,120 (B),34.1.P.C.एवं आर्मस एक्ट में दर्ज किया गया। जिसमें अनुसंधानकर्ता के कर्तव्यहिनता के चलते विभागीय कार्यवाही सं.-18/2017 प्रारंभ भी किया गया। एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु मा. न्यायालय मोतिहारी में इश्तेहार एवं कुर्की जप्ती हेतु दिनपांक 15.3.2017 को अनुरोध किया ।

अत: मैं अपराधियों की गिरफ्तारी एवं कुर्की जप्ती तथा कर्तव्यहीनता के आरोपितपुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह./- सतीश कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-86/2018 – 521 / वि.प.। पटना, दिनांक- 08.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-15.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 08.03.18
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

# बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बेतिया-सिल्लीगुड़ी भाया मोतिहारी, दरभंगा, प्रतापगंज मार्ग एवं सिल्लीगुड़ी – मोतिहारी भाया प्रतापगंज, दरभंगा, मोतिहारी मार्ग पर गाड़ी संख्या-बी.आर.06पी.सी.-6521 एवं बी.आर. 06पी.सी.-8121 (बस) के परिचालन हेतु प्राधिकार पत्र संख्या- 4467, दिनांक – 04.09.2017 निर्गत किया गया है परन्तु बस मालिक श्री मनोज कुमार यादव द्वारा परिवहन आयुक्त को लिखित शिकायत की गई है कि उक्त बसों के आगे-आगे अवैध बसों का परिचालन किया जा रहा है, जिसके कारण इनकी गाड़ियां बंद हो गई है । इसके आलोक में कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर के पत्रांक – 02, दिनांक – 01.01.2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मोतिहारी एवं मोटरयान निरीक्षक मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण को मोतिहारी-सिल्लीगुड़ी मार्ग में अवैध बसों के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया गया, परन्तु अब तक अवैध परिचालन जारी है ।

अत: मैं सरकार से वर्णित मार्ग पर अवैध बसों के परिचालन पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाकर वैध बसों का परिचालन सुनिश्चित कराने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह0/-दिनेश प्रसाद सिंह
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-105/2018 – 573 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 12.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 15.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

(नवल किशोर सिंह) 12.03.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्